



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना-पत्र संख्या:-2024 / 139

दर्ज तिथि:-06.03.2024

1. पुरखाराम पुत्र किस्तुराराम जाति मेघवाल निवासी देवनगर भेडाणा तहसील गुडामालानी
.....प्रार्थीगण
बनाम

1. गंगाराम पुत्र किस्तुराराम
2. पुरो पत्नी किस्तुराराम
3. माना पुत्र राजा
4. लाखा पुत्र देवा
5. समदा पत्नी देवा
जाति मेघवाल निवासी देवनगर तहसील गुडामालानी
6. तहसीलदार गुडामालानी

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता

प्रार्थी:-श्री सुखराम विश्नोई

अप्रार्थीगण:- एकतरफा

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-136

राजस्थान भू-राजस्व अधि.-1956

-:निर्णय:-

निर्णय तिथि:-05.12.2024

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड हाल आराजी खाता संख्या 41 हाल खसरा नम्बर 809/4.5406 है0, 811/3.0594 है0, 826/2.2258 है0, 869/5.8275 है0, में प्रार्थी 1/9 हिस्से का खातेदार वाके ग्राम राजेश्वर नगर तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर राजस्थान में स्थित दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजी वर्णित हाल खसरा नम्बरान राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077 में खाता संख्या 41 में प्रार्थी का नाम परखाराम पुत्र किस्तुराराम अंकित है। जबकि प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात् व आईडी व अन्य रिकॉर्ड प्रार्थी का सही नाम पुरखाराम



पुत्र किस्तुराराम दर्ज है। इस प्रकार जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077 में राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत अंकन किया गया है। अंत में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की उक्तानुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण का नाम पुरखाराम पुत्र किस्तुराराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित रहे। अतः उनकी ओर से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थीगण प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुडामालानी द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की जो कि शामिल पत्रावली की गई।
3. पत्रावली पर प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में पुरखाराम पुत्र किस्तुराराम के स्थान पर परखाराम पुत्र किस्तुराराम दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण को नापूर्ति योग्य नुकसान हो रहा है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी हाल राजस्व रिकॉर्ड में परखाराम पुत्र किस्तुराराम दुरुस्त कर सही नाम पुरखाराम पुत्र किस्तुराराम दर्ज कर घोषणा किये जाने का निवेदन किया गया।
4. मैंने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2074-77 वाके ग्राम राजेश्वर नगर के नवीन खाता संख्या 41 का विवरण निम्न प्रकार है:-

खातेदार	हाल आराजी खसरा संख्या	रकबा
गंगाराम पुत्र किस्तुराराम		
परखाराम पुत्र किस्तुराराम		
पूरों पत्नी किस्तुराराम	809, 811, 826,	4.5406 है०, 3.0594 है०,
माना पुत्र राजा	869	2.2258 है०, 5.82275 है०
लाखा पुत्र देवा		
समदा पत्नी देवा		

5. प्रकरण में प्रार्थीगण का नाम से संबंधित अन्य दस्तावेजों का विवरण इस प्रकार है:-

दस्तावेज का विवरण	नाम
जनाधार कार्ड	पुरखाराम पुत्र किस्तुराराम
पैन कार्ड	पुरखाराम पुत्र किस्तुराराम
पहचान पत्र	पुरखाराम पुत्र किस्तुराराम
आधार कार्ड	पुरखाराम पुत्र किस्तुराराम
राशन कार्ड	पुरखाराम पुत्र किस्तुराराम

6. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि संलग्न पत्रावली है जिसका प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार है:-

1. (...) **पुरखाराम व परखाराम दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है।**
2. **प्रार्थी का जनाधार कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि में नाम पुरखाराम अंकित है तथा प्रार्थी को पुरखाराम नाम से ही जाना जाता है।**

7. उक्त विश्लेषण के अनुसार मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट पुरखाराम व परखाराम दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। वर्तमान में प्रार्थी का अन्य दस्तावेजों में नाम पुरखाराम पुत्र किस्तुराराम अंकित है। अतः प्रार्थी का असल नाम अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अद्यधित किया जाकर मिलान किया जाना आवश्यक है ताकि प्रार्थी अपने खातेदारी अधिकारों का अबाद व पूर्ण उपयोग कर सके। अतः प्रार्थीगण के हाल राजस्व रिकॉर्ड में नाम संबंधी इन्द्राज को मुताबिक अन्य दस्तावेज असल नाम अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्य दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में नाम संबंधी इन्द्राज **पुरखाराम पुत्र किस्तुराराम** को कलमजन कर मुताबिक अन्य दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट **पुरखाराम पुत्र किस्तुराराम** का अंकन करने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं। बाकी राजस्व इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुडामालानी को भिजवायी जावे।

यह आदेश आज दिनांक 05.12.2024 को लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुडामालानी-बाड़मेर